कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर -492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/331–302/ 1283 नवा रायपुर, दिनांक 30/07/2026

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषयः– **कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल अंतर्गत एस.ई.सी.एल. द्वारा बगदेवा भूमिगत खदान रकबा 81.364 हे. राजस्व वन भूमि (पाली परिक्षेत्र के ग्राम संघाली रकबा 27.669 हे., अभयपुर रकबा 9.513 हे. एवं जवाली रकबा 44.182 हे.) के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत।**
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/MIN/ 60227/ 2020

संदर्भः– छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ Land-4402/40/2026-Forest दिनांक 17.07.2026

=0=

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का अनुरोध है। आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र द्वारा बगदेवा भूमिगत कोयला खदान रकबा 81.364 हे. राजस्व वन भूमि (पाली परिक्षेत्र के ग्राम सिंघाली रकबा 27.669 हे., अभयपुर रकबा 9.513 हे. एवं जवाली रकबा 44.182 हे.) उत्पादन क्षमता 0.76 एम.टी.पी.ए. के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव का ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन प्रस्ताव प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया था जिसमें 02 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

प्रेक्षा अनुसार बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र	आपत्ति का विषय	प्रभागीय टीप
1	प्रस्ताव में कलेक्टर द्वारा जारी एन.ओ.सी. संलग्न नहीं है। साथ ही कृपया खसरा नंबर का मिलान करते हुए परीक्षण कर टीप प्रदाय करें।	1. बगदेवा परियोजना हेतु प्रस्तावित 81.364 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि का संबंधित जिला कलेक्टर का पत्र दिनांक 19.10.2015 में दर्शित खसरों नंबरों का प्रस्ताव में वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्रमांक–7 में दर्शाये गये खसरों का मिलान किया जाकर कलेक्टर जिला कोरबा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है। 2. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के भारत सरकार द्वारा नवीन जारी दिशा निर्देश अनुसार एफ.आर.ए. वितरण के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात प्रस्तुत किया जाना प्रावधानित है, तदाशय का भारत सरकार नई दिल्ली नवीन गाईड लाईन दिनांक 29.11.2023 के नियम पैरा 11 (7) में दर्शाये अनुसार "The State Government or Union territory Administration, as

		the case may be, after receiving the 'Final' approval of the Central Government under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam, and after fulfilment and compliance of the provisions of all other Acts and rules made thereunder, as applicable including ensuring settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest 16 Rights) Act, 2006 (2 of 2007), shall issue order for diversion, assignment of lease or dereservation, as the case may be." के अनुपालन में महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल द्वारा तदाशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है (वचन पत्र की प्रति संलग्न है)। अतः वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित जिला कलेक्टर का एफ.आर.ए. अनापत्ति प्रमाण पत्र अंतिम चरण स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत किया जाना प्रावधानित है, जिसके उपरांत राज्य शासन द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत औपचारिक स्वीकृति जारी किया जाना प्रावधानित है।
2	चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक 42 अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अनुमोदन नहीं है।	1. बगदेवा परियोजना हेतु प्रस्तावित 81.364 हेक्टेयर के लिए वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत लेने हेतु वचन पत्र दिया गया है, जो मान्य किया जाना प्रस्तावित है (छायाप्रति संलग्न)। 2. आवेदक संस्थान द्वारा व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के उपरांत प्रस्ताव भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है एवं भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति उपरांत स्वीकृति में निहित शर्तो के अधीन आवेदक संस्थान द्वारा वन्यप्राणी प्रबंधन योजना को CWLW से अनुमोदन उपरांत प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के साथ सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
एवं प्रभारी अ.प्र.मु.व.स.
(भू–प्र./व.(सं. एवं सं.) अ.)
छत्तीसगढ़

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक/ २२२६ /भू.अभि./[illegible]अ./2015 कोरबा दिनांक [illegible]

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

विषय :— एस.ई.सी.एल., कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत बगदेवा भूमिगत खदान हेतु 108.483 [illegible] हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत्।

संदर्भ :— महाप्रबंधक एसईसीएल कोरबा का पत्र क्रमांक [illegible] 13/01 दिनांक 02/01/2013

विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। महाप्रबंधक द्वारा बगदेवा भूमिगत कोयला खदान हेतु ग्राम सिघाली, अमयपुर, जपाली में कुल रकबा 108.483 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत् निवेदन किया गया है।

वन मण्डलाधिकारी अनुविभागीय राजस्व कटघोरा से प्राप्त प्रतिवेदन निम्नानुसार है

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रास्तवित रकबा	मद	अन्य विवरण
1	सिघाली	8/1(क)	66.132	27.595	बड़े झाड़ का जंगल	4 व्यक्तियों को रकबा 0.758 हे. [illegible] वन अधिकार पत्र वितरण किया गया है।
2		270	32.862	17.806	बड़े झाड़ का जंगल	
3		330	12.686	2.833	बड़े झाड़ का जंगल	
	योग		111.680	48.234		4 व्यक्तियों को 0.758 हे. वित.
4	अमयपुर	180	13.881	4.467	बड़े झाड़ का जंगल	1 व्यक्ति को रकबा 0.121 हे0
5		230	0.874	0.874	बड़े झाड़ का जंगल	1 व्यक्ति को रकबा 0.121 हे0 वन अधि. पत्र वितरण
6		249	0.142	0.142	बड़े झाड़ का जंगल	—
7		283	4.030	4.030	बड़े झाड़ का जंगल	4 व्यक्तियों को रकबा 0.606 हे0 वन अधि. पत्र वितरित
	योग		18.927	9.513		6 व्यक्तियों को 0.848 हे. वित.
7	जपाली	104	20.308	15.988	बड़े झाड़ का जंगल	12 व्यक्तियों को रकबा 2.426 हे.वन अधि. पत्र वितरित
8		107	6.099	4.156	बड़े झाड़ का जंगल	—
9		108	6.791	4.768	बड़े झाड़ का जंगल	2 व्यक्तियों को रकबा 0.568 हे. वन अधि.पत्र वितरित
10		109	14.650	13.639	बड़े झाड़ का जंगल	3 व्यक्तियों को रकबा 0.635 हे. वन अधि.पत्र वितरित
11		113	15.014	8.395	बड़े झाड़ का जंगल	10 व्यक्तियों को रकबा 2.713 हे. वनअधिकार पत्र वि.

		190	34.893	1.030	बड़े झाड़ का जंगल	4 व्यक्तियों को रकबा 1.030 हे. वन अधि.पत्र वि. [illegible]
13		193	0.579	0.146	बड़े झाड़ का जंगल	1 व्यक्तियों को रकबा 0.051 हे. वन अधि.पत्र वि. [illegible]
14	जवाली	116	4.670	2.408	बड़े झाड़ का जंगल	[illegible]
	योग		109.004	51.630	[illegible]	3[illegible] व्यक्तियों को [illegible]
	कुल योग		233.911	109.277		41 व्यक्तियों को 18.[illegible] हे. वन अधिकार पत्र वितरित किया

प्रतिवेदन अनुसार उपरोक्त आवेदित नंबरों के संबंध में सक्षम विभाग को 109.277 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :–

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि पर भूमिगत कोयला खदान हेतु दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
2. भूमिगत खदान हेतु संबंधित विभागों से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. भूमिगत कोयला खदान निर्माण कार्य में किसी प्रकार से क्षति होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदक संस्थान की होगी।
4. इस अनुमति के द्वारा स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।
5. भूमिगत खदान क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायलय / विभाग से लिया जाना होगा।
6. आवेदित भूमि पर सीमांकन उपरांत शासन द्वारा निर्मित एवं संचालित भवन स्थित होने पर संबंधित भवन का मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकित राशि संबंधित संस्था छ.ग. शासन को देय होगी।
7. सीमांकन उपरांत जिन खसरा नंबरों पर वन अधिकार पत्र वितरण हुआ है / पाया जाता है, तो उक्त स्थिति में छ.ग. शासन की पुनर्वास नीति 2007 का उचित पालन एवं वन अधिकार पत्र धारियों के उचित व्यस्थापन किये जाने की शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है।

(पी. [illegible])
कलेक्टर
कोरबा (छ.ग.)

पृ.क्र./ 2227 /भू.अ./स.अ.भू.अ./2015 कोरबा दिनांक 18-10-2015

प्रतिलिपि :–

1. वन मण्डलाधिकारी अधिकारी कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
3. तहसीलदार कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
4. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कोरबा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
कोरबा (छ.ग.)

प्रमाणित किया गया 278

VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) RULES, 2023

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2023

G.S.R. 869 (E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980) and in supersession of the Forest (Conservation) Rules, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
-

1. Short title, extent and commencement. - (1) These rules may be called the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the 1st Day of December 2023.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "accredited compensatory afforestation" means a system of proactive afforestation to be used for obtaining prior approval under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam.

(b) "Adhiniyam" means the Van (Sankashan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980);

(c) "Advisory Committee" means the Advisory Committee constituted under section 3 of the Adhiniyam;

(d) "compensatory afforestation" means afforestation done in lieu of the diversion of forest land for non-forest purpose under the Adhiniyam;

(e) "compensatory levies" includes all money and funds specified in clauses (iii) and (iv) of sub-section (3) of section 4 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016);

(f) "Conservator of Forests" means Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests, the Regional Chief Conservator of Forests or an officer equivalent to Conservator of Forests appointed by the State Government or Union territory Administration to hold the charge of a forest circle having jurisdiction over the forest land for which the prior approval of the Central Government is required;

(g) "Deputy Director General of Forests (Central)" means head of the Regional Office appointed by the Central Government;

(h) "dereservation" means an order issued by the State Government or Union territory Administration or any authority thereof, for change in the legal status of a land statutorily or otherwise recognised as forest to any other category of land;

(i) "diversion" means an order issued by the State Government or Union territory Administration or any authority thereof for the use of any forest land for non-forest purpose or assignment of a lease of any forest land for non-forest purpose;

(j) "District Collector" includes Deputy Commissioner, to hold the charge of the Administration of the revenue district having jurisdiction over the forest land for which the prior approval of the Central Government under the Adhiniyam is required;

Scanned with OKEN Scanner

may seek comments of the concerned State Government or Union territory Administration, as the case may be, on the information furnished by the user agency or consider granting 'In-Principle' approval.

(10) The State Government or the Union territory Administration, if so desire, after obtaining the 'In-principle' approval of linear proposal and deposition of compensatory levies such as compensatory afforestation and Net Present Value and cost of mitigation plans such as of the Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as applicable, notification of the land identified for raising compensatory afforestation as Protected Forest under Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or local forest Act and compliance of other statutes including the Schedule Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), may grant 'working permission' for the commencement of project work before grant of 'Final' approval.

11. Final approval of the proposal.-

(1) The Nodal Officer may, after receipt of the 'In-Principle' approval from the Central Government, communicate the same to the Divisional Forest Officers, District Collectors and Conservator of Forests.

(2) On receipt of a copy of the 'In-Principle' approval, the Divisional Forest Officer shall prepare a demand note containing the item-wise amount of compensatory levies , as applicable, to be paid by the user agency and communicate the same to the user agency, along with a list of documents, certificates and undertakings required to be submitted by them in compliance with the conditions stipulated in 'In-Principle' approval.

(3) The user agency shall, after receipt of the communication, make payment of compensatory levies and hand over the land identified for compensatory afforestation, a compliance report along with copies of documentary evidence including undertaking and certificate in respect of the payment of compensatory levies and handing over of compensatory afforestation land to the Divisional Forest Officer.

(4) The Divisional Forest Officer, after having received the compliance report as referred to in sub-rule (3), shall examine its completeness and make his recommendations on the compliance report and forward the same to the Nodal Officer.

(5) the Nodal Officer, after having received the compliance report, ensuring its completeness and obtaining approval of the Principal Chief Conservator of Forests of the State Government or head of the Department in case of Union territory Administration, shall forward such report with his recommendations to the State Government or Union territory Administration, as the case may be.

(6) The Central Government after having received the compliance report and ensuring its completeness may accord 'Final' approval under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam and communicate such decision to the State Government or Union territory Administration and the user agency.

(7) The State Government or Union territory Administration, as the case may be, after receiving the 'Final' approval of the Central Government under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam, and after fulfilment and compliance of the provisions of all other Acts and rules made thereunder, as applicable including ensuring settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest

Scanned with OKEN Scanner

Rights) Act, 2006 (2 of 2007), shall issue order for diversion, assignment of lease or dereservation, as the case may be.

(8) The final order of dereservation under clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam, wherever accorded, shall be published in the official Gazette by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, informing dereservation of the forest land;

(9) The whole process of obtaining approval shall be carried out in the online portal developed for this purpose.

(10) Where compliance of condition imposed in the 'In-principle' approval is awaited from the State Government or Union territory Administration, as the case may be, for more than two years, the 'In-Principle' approval shall be deemed to be null and void:

Provided the Central Government may, for the reasons to be recorded in writing, in respect of proposals involving forest land of more than thousand hectares, where 'In-Principle' approval has been obtained, may consider grant of phase-wise 'Final' approval by the competent authority subject to compliance in respect of-

(a) payment of compensatory levies and notification of land identified and accepted for raising Compensatory Afforestation, proportional to the part area for which compliance is submitted; and

(b) any other specific condition that the Central Government may deem fit to have been complied with.

(11) After issue of final approval under sub- rule (7) and Gazette notification under sub-rule (8) the forest land concerned may be handed over or assigned, as the case may be, to the user agency by the State Government or Union territory Administration.

(12) The Regional Office shall monitor the compliance of all conditions imposed at the time of granting 'In-Principle' approval and the State Government or Union territory Administration and the user agency shall also monitor, at least once every year, the compliance of conditions imposed during 'In-Principle' approval and upload the monitoring report in the online portal.

(13) The entire process for processing the proposals by the various authorities in the State shall be completed within the time limit specified in **Schedule-I** appended to these rules.

12. Proposal seeking prior approval of Central Government for working plan.-

(1) The Nodal Officer of the State Government or Union territory Administration shall submit the draft Working Plan of a Forest Division, duly prepared in accordance with the provisions of the National Working Plan Code, along with the recommendation of the State Consultative Committee, in the online portal for prior approval of the Central Government.

(2) The draft Working Plan shall include, *inter alia*, details of forest land diverted, corresponding Compensatory Afforestation lands and status of afforestation thereon.

(3) the draft Working Plan submitted to the Central Government shall be examined by the Regional Office concerned for its conformity with National Working Plan Code, the National Forest Policy and with preamble of Adiniyam for conservation and augmentation of forests and the Regional Office may accord prior approval to the draft Working Plan along with conditions or without conditions or accord approval along with modification

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन पत्र नियम – 4

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भू–सतह उपयोग हेतु वन भूमि के लिये राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की धारा–2 अंतर्गत मंजूरी /स्वीकृति लेने का प्रारूप

01	परियोजना का ब्यौरा		
	i.	उन प्रस्ताव तथा परियोजना स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए वन भूमि अपेक्षित है।	बगदेवा भूमिगत परियोजना, एसईसीएल कोरबा क्षेत्र, साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बिलासपुर छ.ग. (भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम) के अंतर्गत कोरबा ज़िले में सन् 1995 से संचालित है। यह परियोजना कोरबा शहर से लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में इस परियोजना की कोयला उत्पादन क्षमता 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
	ii.	आपेक्षित वन क्षेत्र निकटवर्ती वन की सीमा को दर्षाने वाला मानचित्र तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत किया जाना है, जो उप वन संरक्षक रैंक से नीचे न हो	प्रस्तावित राजस्व वन भूमि 81.364 हे. क्षेत्र का निकटवर्ती वन की सीमा को दर्शाने वाला 15 कि.मी. परिधि का नक्शा चेक लिस्ट क्रमांक – 33 में संलग्न है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा ऑनलाईन आवेदन के पार्ट–1 बी–2.4 में अपलोड किया गया है।
	iii.	परियोजना की कुल लागत	बगदेवा भूमिगत परियोजना, एसईसीएल कोरबा क्षेत्र एवं 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष की कुल लागत रु 117.602 करोड़ है।
	iv.	परियोजना का वन क्षेत्र में लगने का औचित्य तथा इस क्षेत्र के लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जांच की गई उनको देखते हुये और उनको नामंजुर करने का कारण बतायें।	कोयला परियोजना के क्षेत्र का चयन भूगर्भ में कोयले की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एसईसीएल बगदेवा भूमिगत परियोजना 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष के लिए 5 ग्राम – लखनपुर, विजयपुर, जवाली, अभयपुर एवं सिंघाली के शासकीय एवं कास्तकारी भूमि भी परियोजना में सम्मिलित है। वर्तमान में डेवलपमेंट पद्धति से कोयला उत्खनन के लिये वर्जीन पैच केवल एक साल के लिये उपलब्ध है । अत: कोयला उत्पादन हेतु डीपिलरिंग पद्धति ही एक मात्र साधन है । जिसके लिये राजस्व वन भूमि का प्रत्यावर्तन कोयला उत्खनन के लिए अति आवश्यक है। वन भूमि की मांग न्यूनतम होने तथा वन भूमि अर्जन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का अर्जन करना अति आवश्यक है।
	v.	वित्तीय और सामाजिक लाभ	परियोजना हेतु 81.364 हे. वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्राप्त होने से क्षेत्र में रोजगार का अवसर एवं व्यवसायिक गतिविधियाँ बढ़ेगी । सामुदायिक विकास होगा। साथ ही क्षेत्र में परिवहन एवं सूचना तंत्र मजबूत होगा।
	vi.	कुल लाभान्वित आबादी	1000
	vii.	सृजित रोजगार	प्रभावित राजस्व वन क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा है, अपितु प्रभावित निजी भूमि के बदले कोल इंडिया पुर्नवास नीति 2012 के नियमानुसार 170 प्रभावित भू–स्वामी के लिये रोजगार निर्मित होंगे। परियोजना के अस्तित्व में आने के कारण परियोजना के आसपास को 1000 से अधिक व्यक्ति परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करेंगे।
2		परियोजना का सीन	

Scanned with OKEN Scanner

2		परियोजना का सीन	
	i.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	छत्तीसगढ़
	ii.	जिला	कोरबा
	iii.	वन मंडल	कटघोरा
	iv.	कम्पार्टमेंन्ट राजस्व वनभूमि / वनभूमि छोटे–बडे झाड के जंगल	(see table below)

क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व वनभूमि बगदेवा भूमिगत परियोजना कुल रकबा 81.364 हेक्ट. (FP/CG/MIN/60227/2020)	
		खसरा न.	रकबा (हेक्ट.)
01	सिंघाली	330/1	0.074
02	सिंघाली	8/1 क	27.595
03	अभयपुर	180	4.467
04	अभयपुर	230	0.874
05	अभयपुर	249	0.142
06	अभयपुर	283	4.03
07	जवाली	104/1	12.912
		104/8	0.081
		107/1	4.156
		108/1	4.768
		109/1	13.639
		113/1,4,5,6	7.887
		190/Part	0.739
	योग		**81.364**

3		मौजुदा भूमि उपयोग सहित परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा –	**बगदेवा भूमिगत परियोजना** **<u>मौजुदा भूमि उपयोग का मदवार ब्यौरा :–</u>** (पर्यावरण स्वीकृति 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष) का :– शासकीय भूमि – 76.810 हे. कास्तकारी भूमी – 143.510 हे. राजस्व वन भूमि – 282.280 हे. कुल भूमि – 502.600 हे. **<u>वर्तमान प्रस्ताव में आवेदित भूमि का मदवार ब्यौरा :–</u>** शासकीय भूमि – 0 हे. कास्तकारी भूमी – 0 हे. राजस्व वन भूमि – 81.364 हे. कुल भूमि – 81.364 हे.
4		शामिल वन भूमि का ब्यौरा	
	i.	वन का वैधानिक स्थित नाम आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत।	राजस्व वन भूमि
	ii.	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जाति और प्रजाति का ब्यौरा	मुख्यतः जलाउ लकड़ी
	iii.	वनस्पति की सघनता ।	वनमंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल के गणना पंत्रक में संलग्न
	iv.	वृक्षों की प्रजातियों तथा व्यास श्रेणीवार सार।	गणना पत्रक पृष्ठ क्रं. .... में संलग्न

Scanned with OKEN Scanner

	v.	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व, क्या यह गम्भीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है या नही।	परियोजना के कारण विशेष भूमि कटान की संभावना नहीं है एवं यह क्षेत्र गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा भी नहीं है।
	vi.	क्या यह राष्ट्रीय वन उघान, वनजीव अभ्यारण्य, प्रकोष्ठ आरक्षित, प्रकोष्ठ आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा है, यदि हां तो उसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दे	राष्ट्रीय वन उद्यान या वनजीव अभ्यारण्य प्रकोष्ठ आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का हिस्सा नहीं है।
	vii.	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना के लिए संरक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा।	बगदेवा भूमिगत परियोजना में कोई संरक्षित वनभूमि नहीं है।
	viii.	क्षेत्र मे पाये जाने वाली दुर्लभ संकटापन जातियॉ व प्राणी जगत की प्रजातियॉ ।	बगदेवा भूमिगत परियोजना में कोई दुर्लभ संकटापन जातियॉ व प्राणी जगत की प्रजातियॉ का दृष्टि गोचर नहीं हुआ है।
	ix.	क्या प्रवासी जंन्तुओं के लिए एक पार्क स्थल है या उसके लिए प्रभाग भूमि भाग है।	नहीं।
	x.	प्रस्ताव में दर्शित क्षेत्र का कोई अन्य महत्व ।	नहीं।
5		परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियॉ का ब्यौरा।	
	i.	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	प्रस्तावित वन क्षेत्र में विस्थापित परिवारों की संख्या – शून्य
	ii.	विस्थापित होने वाले अनुसुचित जनजातियॉ के परिवारों की संख्या	प्रस्तावित वन क्षेत्र में अनुसुचित जनजातियॉ के परिवारों की संख्या – शून्य
	iii.	विस्तृत पुनर्वास योजना	आवेदित वन भूमि से किसी भी तरह की पुर्नवास नहीं किया जाना है।
6		क्षतिपूरक पुनर्वास योजना	
	i.	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए शिनाख्त किए गये गैर वन क्षेत्र अभिनित वन क्षेत्र का ब्यौरा, निकटपर्ती वंनों से इसकी दुरी, हिस्सॉ की संख्या ,प्रत्येक हिस्से का आकार।	बगदेवा भुमिगत परियोजना एक भूमिगत खदान होने के कारण क्षतिपूरक वन रोपण की आवश्यकता नहीं है।
	ii.	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए शिनाख्त गैर वन/ अतिकमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र।	बगदेवा भुमिगत परियोजना एक भूमिगत खदान होने के कारण क्षतिपूरक वन रोपण की आवश्यकता नहीं है।
	iii.	रोपण की जाने वाली प्रजातियॉ कार्यान्वयन एजेंसी समय सूची लागत ढॉचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वन रोपण	लागू नहीं है।
	iv.	क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	लागू नहीं है।
	v.	वन रोपण के लिए क्षतिपूरक वन रोपण हेतु शिनाख्त किये गये क्षेत्र की उपयोगिता के बारे में और प्रबंध की दृष्टी से सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र	लागू नहीं है।
	vi.	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए वनेत्तर भूमि ना होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र(यदि लागु हो)	लागू नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

7		परिपत्र लाइन के बारे में ब्यौरा (केवल पारेषण लाईन के लिए)	लागू नहीं है।
8		सिंचाई / जल विद्युत परियोजना हेतु –(केवल सिंचाई / जल विद्युत परियोजना प्रस्ताव के लिए)	लागू नहीं है।
9		संडक / जल लाईन के बारे में ब्यौरा –(केवल रेल एवं रोड प्रस्ताओ के लिए)	लागू नहीं है।
10	खनन प्रस्ताव के बारे में (केवल खनन प्रस्ताव हेतु)		
	1	कुल खनि पट्टा क्षेत्र और आपेक्षित वन क्षेत्र	**बगदेवा भूमिगत परियोजना** **<u>मौजुदा भूमि उपयोग का मदवार ब्यौरा :–</u>** (पर्यावरण स्वीकृति 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष) का :– शासकीय भूमि – 76.810 हे. कास्तकारी भूमी – 143.510 हे. राजस्व वन भूमि – 282.280 हे. कुल भूमि – 502.600 हे. **<u>वर्तमान प्रस्ताव में आवेदित भूमि का मदवार ब्यौरा :–</u>** शासकीय भूमि – 0 हे. कास्तकारी भूमी – 0 हे. राजस्व वन भूमि – 81.364 हे. कुल भूमि – 81.364 हे.
	2	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि	30 वर्ष
	3	वन क्षेत्र और गैर वन क्षेत्र में प्रत्येक खनिज कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार	बगदेवा भूमिगत परियोजना 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष का दिनांक 31.03.2023 की तिथि में कोयले का अनुमानित भण्डार 12.56 मिलियन टन था ज़िसमें से प्रस्तावित वन क्षेत्र में लगभग 1.16 मिलियन टन कोयले का अनुमानित भण्डार है।
	4	खनिज / कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	वर्तमान में बगदेवा भूमिगत परियोजना की कोयला उत्पादन क्षमता 0.76 मलियन टन प्रति वर्ष है। वर्ष 2022–23 में इस परियोजना ने कुल 0.34 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया था।
	5	खनन कार्य का किस्म, खुली खदान/भूमि गत	भूमिगत खदान।
	6	चरणबद्व सुधार योजना	लागु किया जा रहा है।
	7	किस क्षेत्र में खनन कार्य किया जाएगा उसका प्लान	कुल 81.364 हे. राजस्व वन भूमि क्षेत्र में खनन कार्य किया जाएगा।
	8	पट्टा संलग्र की प्रति संलग्र किया जाये केवल नवींनीकरण हेतु	लागू नहीं है।
	9	नियुक्ति किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या	नियुक्ति किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या शून्य हैं। वर्तमान में खदान में कार्यरत कर्मचारी ही कार्यरत रहेंगे।
	10	निम्नलिखित के लिए अपेक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल	81.364 हे. राजस्व वन भूमि
	क	खनन	81.364 हे.
	ख	खनन कच्चे धातु भण्डार	0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला
	ग	अधिभार का जमा कराना	लागू नहीं है।
	घ	औजारों और मशीनों का भण्डार	लागू नहीं है।
	ङ	भवनों बिजली घरों कार्यशालों आदि का निर्माण	लागू नहीं है।
	च	शहर / आवास कोलोनीयॉ निर्माण	लागू नहीं है।
	छ	सडक/राजमार्ग/रेलवे का निर्माण	लागू नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

	ज	अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि का सदुपयोग योजना	81.364 ह. राजस्व वन भूमि खनन कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा।
	11	परियोजना के संपूर्ण ऊपर क से ज तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिए वन भूमि मांग की गयी है उनकी वन क्षेत्र के बाहर शुरू सिमित व पिक जाने के क्या कारण है	कोयला परियोजना के क्षेत्र का चयन भूगर्भ में कोयले की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एसईसीएल बगदेवा भूमिगत परियोजना 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष के लिए 05 ग्राम – लखनपुर, विजयंपुर जवाली अभयपुर एवं सिंघाली के शासकीय एवं कास्तकारी भूमि भी परियोजना में सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि का प्रत्यावर्तन कोयला उत्खनन के लिए अति आवश्यक है। वन भूमि की मांग न्यूनतम होने तथा वन भूमि व्यपवर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन करना अति आवश्यक है।
	12	खनन और संबंधित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होनी वाली सम्मिलित क्षति और प्रमाणित होने वाले वृक्षों की संख्या	खनन और संबंधित गतिविधियों के लिए मांग की गई वन भूमि राजस्व वन भूमि है एवं मौके पर स्थित वनस्पति की सघनता 0.4 से भी कम है। इसमें वृक्षों की गणना वन विभाग द्वारा किया गया है। उपरोक्त भूमि व्यपवर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन करना अति आवश्यक है।
	13	बरहमासी नदियों मार्गो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण और जीव मंडल से रिजर्वों से खनन क्षेत्र की दुरी	परियोजना के दक्षिण–पूर्वी भाग में कोलार नाला प्रवाहित है, उत्तर–पूर्वी भाग में बिलासपुर–कटघोरा राष्टिय मार्ग है। परियोजना के समीप 15.00 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण और जीव मंडल का कोई भाग नहीं है। नक्शा चेक लिस्ट क्रमांक – 33 में संलग्न है।
	14	पुनः प्रयोग के लिए उपरी मृदा के भंडारण की प्रक्रिया	बगदेवा भुमिगत परियोजना एक भूमिगत खदान होने के कारण उपरी मृदा के भंडारण की आवश्यकता नहीं है।
	15	भूमि का खनन कार्यो में अपेक्षित अवतल की मात्रा और जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	खनन की अपेक्षित गहराई समतल से 101–130 मीटर तक नियोजित है। खनन कार्य का अपेक्षित अवतल की मात्रा और जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर प्रभाव न्यूनतम है।
11		लागत लाभ विश्लेषण	प्रस्तावित राजस्व वन भूमि के लिए लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।
12		क्या पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है हां / नहीं यदि हां तो क्या उसके लिए अपेक्षित ब्यौरा प्रस्तुत कर दिए गए है हां / नहीं	एसईसीएल बगदेवा भूमिगत परियोजना 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार द्वारा पत्र क्र. J-11015/1099/2007-IA-II(M) दिनांक 15.07.2009 को प्राप्त हुई है। प्रतिलिपि चेक लिस्ट क्रमांक – 11 में स्लग्न है।
13		क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोइ कार्य किया गया है, हां/नहीं यदि हां तो	नहीं।
	1	शुरू होने के तारीख सहित उसके ब्यौरे	निरंक।
	2	अधिकारी के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारी	निरंक।
	3	गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ की गयी/जा रही कार्यवाही।	निरंक।
	4	क्या अभी भी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है	निरंक।
14		कोई अन्य सूचना	वन अधिकार मान्यता पत्र एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने हेतु एसईसीएल कोरबा क्षेत्र का वचन पत्र पृष्ठ. क्र. .... में संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

15		संलग्न किये गए प्रमाण पत्रों दस्तावजों का ब्यौरा	ब्यौरा सूची पृष्ठ. क्र.1-22 में संलग्न है।
16		निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात–	
	1	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकडी और अन्य वन उत्पादन	सम्मिलित राजस्व वन भूमि में मुख्यतः जलाउ लकड़ी मौजुद हैं। बगदेवा भुमिगत परियोजना एक भूमिगत खदान होने के कारण वन भूमि के वृक्ष प्रभावित होने की संभावना नहीं है।
	2	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी की आपूर्ती पर आत्मनिर्भर है	नहीं है।
	3	परियोजना के कारण निम्न व्यवस्थाओं पर असर	
	(a)	ग्रामीण आबादी के लिए जलाने की लकडी की अर्थव्यवस्था और जीविका पर	ग्रामीण आबादी के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में विकल्प मौजूद है।
	(b)	आदिवासियों और पीछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका पर	आदिवासियों और पीछड़े समुदायों को परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार आदी में लाभ मिलेगा।
	4	कारण सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिए मुख्य वन संरक्षक / वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिश	अनुशंसा की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उद्देश्य के लिए सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिंया गया है और अपेक्षित उद्देश्य के लिए वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

खान प्रबंधक
बगदेवा भूमिगत खदान

उपक्षेत्रीय प्रबंधक
ढेलवाडीह–सिंघाली–बगदेवा उपक्षेत्र

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

Under jurisdiction of Bilaspur Court only

साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

(कोल इण्डिया का एक अंश / A Subsidiary of Coal India Ltd.)

कार्यालय महाप्रबंधक,कोरबा क्षेत्र

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER

KORBA AREA

" A MINI RATNA COMPANY "

Tel: 07759-221041 (Off.)
Fax: 07759-249040

पो. कोरबा,
जिला कोरबा (छ.ग.)
PO: KORBA
DIST: KORBA (CG)

एसईसीएल महाप्रबंधक / कोरबा / 2023 / 72 दिनांक 30/08/2023

वचन पत्र

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंर्तगत एसईसीएल बगदेवा भूमिगत परियोजना का वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत लेने हेतु

साउथ इर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड, बगदेवा भूमिगत परियोजना , जिला कोरबा (छ.ग.) लिखित रूप से वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि बगदेवा भूमिगत परियोजना की अवेदितराजस्व वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंर्तगत वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत लिया जाएगा एवं वन्यप्राणी परियोजना के संबध में प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा जो भी शर्त रखी जाएगी उसको मान्य करने हेतु एसईसीएल कोरबा क्षेत्र बाध्य रहेगा

30/8/23
उपक्षेत्रीय प्रबंधक
ढेलवाडीह–सिंघाली–बगदेवा उपक्षेत्र

30/8/23
क्षेत्रीय महाप्रबंधक
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner